फैक्स/अत्यावश्यक/व्यवस्थापन वर्ष 2009—10

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

संख्याः26351—26420/दस—लाइसेंस—367/(खण्ड—3)सुझाव आबकारी नीति/2009—10

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

दिनांकःइलाहाबादःफरवरी,20,2009

विषय :—**वर्ष 2009—10 हेतु आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासनादेश संख्या—320 ई—2/तेरह—2009—115/2008 दिनांक 11.02.2009 द्वारा वर्ष 2009—10 हेतु जारी आबकारी नीति के परिप्रेक्ष्य में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु निर्गत अधोहस्ताक्षरी के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या—25481—2551/दस—लाइसेंस—367 (खण्ड—3)/आबकारी नीति/2009—10 दिनांक 12.02.2009 का संदर्भ लेंने का कष्ट करें।

उपरोक्त अर्द्ध शासकीय पत्र द्वारा आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु समय—सारणी जारी की गई है। लाटरी के लिए निर्धारित द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण के कार्यक्रम को संशोधित करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :—

1.	**द्वितीय चरण (संलग्न सूची में अंकित जनपदों में)** वर्ष 2009—10 की आबकारी नीति में दिए गए निर्देशानुसार दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र युक्ति—युक्त कर, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेस फीस/ प्रतिभूति धनराशि में वांछित वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र (निर्धारित वृद्धि के साथ), बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	22.02.09
2.	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा, बियर की दुकानों तथा माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	22.02.09
3.	देशी मदिरा, की नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र एवं विदेशी मदिरा तथा बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं माडल शाप्स के सम्बन्ध में आबकारी नीति में दिये गये दिशा—निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी तथा इनका व्यवस्थापन भी लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांगकर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के सम्बन्ध में देशी शराब के मामले में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र, बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस	22.02.09

	फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स के मामले में लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि अंकित करते हुए समाचार पत्र में विज्ञप्ति।	
4.	उपरोक्त समस्त दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पते व पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समस्त मानकों यथा पहचान पत्र, आयकर का पैन नम्बर, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, किसान बही की कापी व क्रेडिट कार्ड की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ मॉगने एवं लाटरी हेतु आवेदन–पत्रें का विक्रय 23.02.2009 से प्रारम्भ तथा **दिनांक 05.03.2009** को दोपहर 2.00 बजे तक करने एवं सायं 5.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रें में संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन।	22.02.2009
5.	**लाटरी हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	05.03.09 के सायं 05 बजे तक
6.	आवेदन पत्रें का परीक्षण	06.03.09 से 08. 03.09 तक
7.	सार्वजनिक लाटरी	09.03.09 को 11 बजे से समाप्ति तक

1.	**<u>तृतीय चरण (संलग्न सूची में अंकित जनपदों में)</u>** वर्ष 2009–10 की आबकारी नीति में दिए गए निर्देशानुसार दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र युक्ति–युक्त कर, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेस फीस/ प्रतिभूति धनराशि में वांछित वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र (निर्धारित वृद्धि के साथ), बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	25.02.09
2.	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा, बियर की दुकानों तथा माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	25.02.09
3.	देशी मदिरा, की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र एवं विदेशी मदिरा तथा बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं माडल शाप्स के सम्बन्ध में आबकारी नीति में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी तथा इनका व्यवस्थापन भी लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांगकर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के सम्बन्ध में देशी शराब के मामले में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र, बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स के मामले में लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि अंकित करते हुए समाचार पत्र में विज्ञप्ति।	25.02.09
4.	उपरोक्त समस्त दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पते व पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समस्त मानकों यथा पहचान पत्र, आयकर का पैन नम्बर, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, किसान बही की कापी व क्रेडिट कार्ड की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ मॉगने एवं लाटरी हेतु आवेदन–पत्रें का विक्रय 26.02.2009 से प्रारम्भ	25.02.2009

	तथा **दिनांक 13.03.2009** को दोपहर 2.00 बजे तक करने एवं सायं 5.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रें में संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन।	
5.	**लाटरी हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	13.03.09 के सायं 05 बजे तक
6.	आवेदन पत्रें का परीक्षण	14.03.09 से 17. 03.09 तक
7.	सार्वजनिक लाटरी	18.03.09 को 11 बजे से समाप्ति तक

अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन हेतु लाटरी

1.	प्रत्येक चरण में अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम लाटरी के पश्चात् उसके अगले दिवस को विज्ञाप्ति निर्गत की जायेगी एवं अन्य प्रक्रिया दो कार्यदिवस सहित की जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विज्ञाप्ति निर्गत करेंगे।	

भांग की दुकानें		
1.	भॉग की फुटकर दुकानों की नीलामी	15.03.2009 को

दुकानों का दैनिक आधार पर संचालन		
1..	दैनिक आधार पर दुकानों का व्यवस्थापन करने हेतु सार्वजनिक लाटरी से अवशेष देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बियर एवं भांग की दुकानों को दिनांक 01. 04.2009 से दैनिक व्यवस्थापन संचालन हेतु विज्ञापन	31.03.2009 को प्रातः 11 बजे
2..	दैनिक आधार पर दुकानों का व्यवस्थापन	01.04.2009 को प्रातः 9 बजे

3— व्यवस्थापन हेतु निर्धारित चरणों के तृतीय चरण में बस्ती जनपद के स्थान पर आजमगढ़ जनपद पढ़ा जाय।

4— उपरोक्त के अतिरिक्त द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण हेतु लाटरी फार्मो के वितरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :—

(प) प्रथम चरण की लाटरी हेतु निर्धारित जनपदों में लाटरी के पुराने फार्म प्रयुक्त किए जायेंगे। अस्तु जनपद में लाटरी के फार्मो की गणना कराकर यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि फार्म आवश्यकता के अनुरूप हैं। यदि फार्मो की संख्या कम हो तो विशेष वाहक भेज कर आयुक्तालय के स्टोर अनुभाग से प्राप्त कर लिया जाय। यदि लाटरी फार्म आवश्यकता से अधिक हों तो उन्हें विशेष वाहक से आयुक्तालय के स्टोर अनुभाग को वापस करा दिया जाय।

(पप) द्वितीय एवं तृतीय चरण की लाटरी हेतु नए मुद्रित लाटरी फार्म प्रयोग किए जायेंगे। अस्तु मांग पत्र प्रेषित कर विशेष वाहक से आयुक्तालय के स्टोर अनुभाग से नए मुद्रित

लाटरी फार्म प्राप्त कर लिया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि नए लाटरी फार्मो के साथ पुराने लाटरी फार्मो का प्रयोग न होने पाए।

(पपप) आवेदन पत्र में सह आवेदक सम्बन्धी कालम प्रयोजनीय न होने पर दो तिरछी समानान्तर रेखाओं से काट कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। भरे हुए लाटरी फार्म प्राप्त करते समय उक्त तथ्य को सुनिश्चित कर लिया जाये। चयनित आवेदक का आवेदन पत्र उपरोक्त स्थिति में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी किया जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त परिवर्तनों/परिवर्धनों के अनुसार वर्ष 2009–10 हेतु आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन नियमानुसार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/ अपठनीय

(सुधीर एम0 बोबडे)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

संख्याः 26421–26541 /दस–लाइसेंस–367/(खण्ड–3)सुझाव आबकारी नीति/2009–10/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त ज़िलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ0प्र0।
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
6. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
7. उप आबकारी आयुक्त (कार्मिक एवं अधिष्ठान) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जनपदों को लाटरी फार्मो का वितरण कराना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

ह0 / अपठनीय

(सुधीर एम0 बोबडे)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।